


Financial Literacy for Small Entrepreneurs (Hindi)

Distributed by



EduMaster




Financial Education Beyond Boundaries

TIMELESS, CLASSIC, CHIC.

SPREADING AWARENESS TO THE ONES WHO NEED THE MOST

This booklet is distributed by
EduMaster NGO as a part of
Financial Literacy program
conducted across India.



लक्ष्य विशिष्ट वित्तीय साक्षरता सामग्री

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मोहनी की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन पर मध्याधि पथ से संबंधी समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश यह था कि वित्तीय शिक्षा के लिए “सभी के लिए एक ही शिक्षा” वाला दृष्टिकोण शायद उचित न हो क्योंकि विभिन्न लक्ष्य समूहों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप, सामग्री को विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए अनुकूल बनाए जाने की आवश्यकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन और विकास विभाग ने पांच अलग-अलग समूहों अर्थात किसान, लघु उद्यमियों, स्कूली बच्चों, एसएचजी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर्सटमाइज्ड वित्तीय साक्षरता सामग्री का निर्माण किया है। यह पुस्तक कर्सटमाइज्ड वित्तीय साक्षरता सामग्री पर पांच पुस्तकों की शृंखला में से एक है।

अस्तीकरण

यह पुस्तक, पढ़ने और शिक्षण सामग्री के रूप में प्रस्तुत की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य पाठक को वित्तीय साक्षर बनाना है। इसका उद्देश्य किसी भी विशेष वित्तीय उत्पाद/दों या सेवा/ओं के संबंध में निर्णय लेने के लिए पाठक को प्रभावित करना नहीं है।

प्रतिलिप्याधिकार

प्रथम संस्करण – अप्रैल 2018


सामग्री को पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति है, बशर्ते स्रोत की जानकारी दी गई हो।

भारतीय रिजर्व बैंक
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
10वीं मजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट
मुंबई,
द्वारा लिखित और प्रकाशित

अभिस्वीकृति

डिजाइन: कौशिक रामचंद्रन

टीजी – फेम श्रृंखला
(लक्ष्य समूह – वित्तीय जागरूकता संदेश)



उद्यमियों के लिए

वित्तीय
साक्षरता



संदेश १:

संपार्श्विक बिना ऋण – जी हां, यह संभव है!

संदेश २:

ऋण आवेदन प्रक्रिया

संदेश ३:

ऋण आवेदनों के निपटान के लिए बीसीएसबीआई द्वारा निर्धारित समयसीमा

संदेश ४:

उद्यमियों के लिए अनिवार्य रूप से जानने योग्य वित्तीय शब्द

संदेश ५:

संक्रिय रहें और कठिनाई के समय बैंक से संपर्क करें



संदेश ९: संपार्श्विक बिना ऋण- जी हां, यह संभव है!



ऋण गारंटी व्यास

एमएसई क्षेत्र को संपार्थिक
और तीसरे पक्ष की गारंटी के
बिना ऋण प्रदान करने के
उद्देश्य से एमएसएमई मंत्रालय,
भारत सरकार और सिडबी की
संयुक्त पहल

सीजीटीएमएसई रु.200 लाख
तक के लिए कवर की सुविधा
प्रदान करेगा।



सीजीटीएमएसई द्वारा चार्ज
किए जाने वाले गारंटी और
वार्षिक शुल्क का भुगतान
उधारकर्ता या उधारदाता
सदस्य संस्थान द्वारा किया
जाएगा।

एमएसई क्षेत्र को प्रदान किए
गए रु.10 लाख तक के ऋण
हेतु संपार्थिक जमानत न लेने
के लिए भारतीय रिजर्व बैंक
द्वारा सभी बैंकों को निर्देश
दिए गए हैं।

सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी)



गैर-कृषि उद्यमी बैंक से कार्यशील पूँजी और मियादी ऋण आवश्यकताओं
दोनों के लिए जीसीसी के रूप में ऋण सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

जीसीसी को स्मार्ट कार्ड / लेविट कार्ड (एटीएम / हैंड हेल्ड रवाइप मशीनों
में उपयोग के अनुकूल बोयमेट्रिक स्मार्ट कार्ड और उद्यमी की पहचान,
संपत्ति और क्रेडिट प्रोफाइल आदि की पर्याप्त जानकारी रखने में सक्षम)
के रूप में जारी किया जाता है। जहां कहीं भी खाते डिपोजिटल नहीं होते
हैं, वहां जीसीसी को कार्ड / पास बुक या क्रेडिट कार्ड-सह-पास बुक
के रूप में जारी किया जा सकता है जिसमें नाम, पता, खाता — धारक
की तस्वीर, उधार सीमा का विवरण, वैधता अवधि आदि समाहित होते हैं
तथा जो कुछ समय के लिए पहचान पत्र के साथ-साथ नियमित रूप से
चल रहे लेनदेन की रिकॉर्डिंग की सुविधा भी प्रदान करता है।

कार्ड की सीमा जोखिम मूल्यांकन के आधार पर मामले दर मामले पर विचार करने के उपरांत बैंक द्वारा तय की जाती
है। जीसीसी के माध्यम से प्राप्त ऋण पर व्याज दर बैंक द्वारा तय की जाती है। एक उद्यमी के रूप में, आपको यह
जानना चाहिए कि बैंक आपके ऋण पर कितना प्रभार लेगा।

संदेश २: ऋण आवेदन प्रक्रिया

चरण
१

अपनी व्यावसायिक योजना और अनुमानित धन की आवश्यकताओं का विवरण तैयार करें

ऋण हेतु
आवेदन



आप या तो उद्यमी मित्र पोर्टल पर जा सकते हैं या सीधे किसी बैंक में जा सकते हैं

बैंक

ऑनलाइन आवेदन करें
<https://udyamimitra.in/>

चरण
२

आवेदन हेतु ऋण आवेदन संख्या और पावती प्राप्त करें।



चरण
३

आवेदन पर बैंक / पोर्टल द्वारा किए गए सभी प्रश्नों का तुरंत उत्तर दें, उनके निर्णय की प्रतीक्षा करें।



चरण
४

यह देखने के लिए कि आपका ऋण स्वीकृत है या अस्वीकृत है, अपने आवेदन को ट्रैक करते रहें।

संदेश ३: ऋण आवेदनों के निपटान के लिए बीसीएसबीआई द्वारा निर्धारित समयसीमा


भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) ने ऐसे ऋण आवेदनों के निपटान के लिए समयसीमा निर्धारित की है, जो सभी मामलों में पूर्ण है और उपलब्ध कराई गई “जांच सूची” के अनुसार दस्तावेजों से समर्थित है। ऐसे बैंक जो बीसीएसबीआई के सदस्य हैं, उन्हें निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:

- रु.5 लाख तक के नए ऋण सीमा या मौजूदा ऋण सीमा में वृद्धि हेतु एमएसई ऋण आवेदन : 2 सप्ताह
- रु.5 लाख से अधिक और रु.25 लाख तक की ऋण सीमा के लिए: 3 सप्ताह

यह कोड भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी विनियामक या पर्यवेक्षी निर्देशों को प्रतिस्थापित या अधिक्रमित नहीं करता है तथा बैंक, आरबीआई द्वारा समय—समय पर जारी किए गए अनुदेशों / निर्देशों का पालन करेंगे।

संदेश ४: उद्यमियों के लिए अनिवार्य रूप से जानने योग्य वित्तीय शब्द

परिदृश्य १: अपनी पूँजी द्वारा वित्तपोषण



सब्जी विक्रेता ₹.2000 की अपनी पूँजी से किसान से सहित्यां खरीदता है और इसे 2500 रुपये में बेचता है। वह किराये के रूप में प्रति दिन 100 रुपये और अपने सहायक को प्रति दिन 50 रुपये की मजदूरी देता है। वह सहित्यां को 2500 रुपये में बेचता है। सब्जी विक्रेता के द्वारा किराये के रूप में 100 रुपया और मजदूरी के रूप में दिया गया 50 रुपया “परिचालन खर्च” कहलाता है। सब्जी बेचने हेतु उसे खरीदने में जो 2,000 रुपये लगे हैं, उन्हें “बेचे गए सामान की लागत” कहा जाता है। इस मामले में लाभ की गणना निनानुसार की जाती है:

$$\text{लाभ} = \text{बिक्री मूल्य} - \text{बेचे गए सामान की लागत} - \text{परिचालन खर्च} = 2500 - 2000 - 150 = 350 \text{ रुपये}$$

परिदृश्य २: स्टॉक को दृष्टिबन्धक रखकर नकदी ऋण



मान लीजिए कि सब्जी विक्रेता के पास अपनी आवश्यकतानुसार सारी सब्जी खरीदने या अपने व्यापार के विस्तार हेतु स्वयं की पूँजी नहीं है, तो वह खरीदी जाने वाली सब्जी को जमानत के रूप में रखने की शर्त पर बैंक से ऋण ले सकता है। इस प्रकार के वित्तपोषण को नकदी ऋण कहा जाता है जहां बैंक स्वयं परिसमापनशील जमानत के बदले ऋण देता है।

बैंक ऋण की पूरी रकम को एक साथ निकालने की आवश्यकता नहीं है बल्कि जब आवश्यक हो या जितना आवश्यक हो उसी अनुरूप पैसे निकालना चाहिए। इस प्रकार की सुविधा पर व्याज बकाया राशि पर ही लगाया जाता है, न की संपूर्ण ऋण सीमा पर।

परिदृश्य ३: प्राप्य राशियों पर वित्तपोषण



व्यवसाय में, अक्सर उधार देना पड़ता है जिसका अर्थ होता है कि समझौते के अनुसार भविष्य में किसी निश्चित तारीख को ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करना। जब ऐसा होता है, तो अगले दिन की आपूर्ति के लिए सामान खरीदने हेतु पर्याप्त धन नहीं होता है तथा किराए और मजदूरी जैसे अन्य दायित्वों का भुगतान करने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। भुगतान जो समझौते के अनुसार बाद की तारीख में प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें प्राप्य राशियां कहा जाता है और जिस ग्राहक को बाद की तारीख में भुगतान करना है, उसे ऋणी कहा जाता है।

ऐसी स्थिति में, जब विक्री के बाद पैसा प्राप्त होने में देरी हो रही है, तो व्यवसाय को धन की कमी के कारण बंद करने की आवश्यकता नहीं है। सब्जी विक्रेता बैंक में जा सकते हैं और प्राप्य राशियों के बदले उधार देने का अनुरोध कर सकते हैं। मार्जिन की कटौती के बाद बैंक प्राप्य राशियों के बदले वित्त प्रदान करता है। ऋण पर व्याज केवल बकाया ऋण राशि पर लगाया जाता है।

परिदृश्य ४: अचल आर्टित्याँ खरीदने और उनके लिए अकाउंटिंग

अब जब मुनाफे में वृद्धि हुई है, तो सब्जी विक्रेता ने अपनी दुकान के लिए एक टेबल और कुरीय खरीदने का फैसला किया है। उसने ₹.200 का फर्नीचर खरीदा।

लेकिन वह दुविधा में था, कि व्या उसे इस साल के मुनाफे में से ₹.200 को कम करना चाहिए, भले ही वह अगले 10 वर्षों के लिए इस फर्नीचर का इस्तेमाल करेगा, यदि वह ऐसा करता है तो उसका लाभ ₹.200 कम हो जाएगा। उसने सोचा चूंकि फर्नीचर का जीवन 10 साल हैं अतः वह इस साल लागत का केवल 1/10 भाग ही फर्नीचर के लिए आवंटित करेगा। जब वह ऐसा करता है तो वर्तमान वर्ष में खर्च के रूप में चार्ज की जाने वाली इस राशि को मूल्यांकन कहा जाता है।

व्यवसाय चलाने के लिए खरीदी गई किसी भी वस्तु, जिसका उपयोग एक वर्ष से अधिक समय के लिए किया जाना है, को अचल आर्टित कहा जाता है। अचल आर्टित का उदाहरण भूमि, बिल्डिंग, मशीनरी, उपकरण आदि हैं।



अचल आर्टित के जीवन को देखते हुए, प्रति वर्ष अचल आर्टित के मूल्य को घटाया जाना चाहिए। कम हुई राशि को खर्च के रूप में दिखाकर इस कटौती को पूरा किया जाता है जिसे मूल्यांकन कहा जाता है।

परिदृश्य ५: दीर्घावधि ऋण



व्यापार बढ़ने के साथ ही, सब्जी विक्रेता को एहसास हुआ कि उसे ऐसी कई सारी सब्जियाँ फेंकनी पड़ी जिसे ग्राहकों द्वारा नहीं खरीदा गया था वर्योंकि यह सब्जियाँ नाशवान होने के कारण खराब हो जाती थी। इससे उसके मुनाफे में कमी होने लगी। उसे महसूस हुआ कि यदि उसके पास एक कॉल्ड स्टोरेज व्यवस्था हो तो वह ताजा सब्जियों के जीवन को बढ़ाने और अपव्यय को कम करने में सक्षम हो सकता है। उसने एक फ्रीजर के बारे में पूछताछ की और जाना कि एक अच्छा फ्रीजर ₹.20000 की लागत से आएगा। उसे पता चला कि वह <https://udyamimitra.in> के माध्यम से ऋण का लाभ उठा सकता है और उसने ऋण के लिए आवेदन किया। उसके ऋण को 10% प्रतिवर्ष की व्याज दर पर स्वीकृत किया गया। इस ऋण के साथ उसने फ्रीजर खरीदा और अब वह दो और दिनों के लिए सब्जियों को ताजा रख सकता है। इससे सब्जी विक्रेता के मुनाफे में वृद्धि हुई।

शब्दावली: मियादी ऋण


ऐसे ऋण जो विशिष्ट उद्देश्य हेतु लिए गए हों तथा जिसे लंबी अवधि (एक वर्ष और उससे ऊपर) में चुकाया जाना है उसे “मियादी ऋण” कहते हैं।

व्यापार सारांश

सब्जी विक्रेता ने कुल ₹.10 लाख की बिक्री की और उसके सामान की कीमत ₹.8 लाख थी जिससे उसे ₹.2 लाख का सकल लाभ हुआ। उसने किराया और मजदूरी के रूप में क्रमशः ₹.36000 और ₹.18,000 का भुगतान किया (एक वर्ष में 360 दिन मानते हुए)। वर्ष के अंत में उसका नकदी ऋण बकाया ₹.2000 था। सरलता से समझाने के लिए, मान लिया जाए कि वर्ष के प्रत्येक दिन बकाया ₹.2000 था, और उसने नकदी ऋण बकाया पर ₹.200 का कुल व्याज दिया। उसने वर्ष के आखिरी दिन ₹.6000 मियादी ऋण के लिए चुकाया और तुलन पत्र में बकाया राशि ₹.14000 था। मियादी ऋण पर वर्ष के लिए व्याज के रूप में ₹.2000 चार्ज किया गया था। अतः वर्ष भर के लिए दिया गया कुल व्याज ₹.2200 है। वर्ष हेतु फ्रीजर पर ₹.2000 और फर्नीचर पर ₹.20 का मूल्यांकन को खर्च के रूप में दावा किया गया था जिससे मूल्यांकन की कुल राशि ₹.20 छोड़ दी गई। फ्रीजर और फर्नीचर दोनों के लिए जीवन काल 10 वर्ष मानते हुए मूल्यांकन की दर 10%। अचल आरित का निवल मूल्यांकन ₹18180 रुपये (20000 – 2020) है।

लाभ और हानि विवरण	तुलन पत्र	
बिक्री ₹.10,000,000	आस्तियाँ ₹.1,39,100	
सीओजीएस ₹.8,000,000	प्राप्त राशियाँ ₹.2,500	
सकल लाभ ₹.2,000,000	अचल आरित ₹.18,180	
परिचालन खर्च		
किराया ₹.36,000	कुल संपत्ति ₹.1,59,780	
मजदूरी ₹.18,000	देयता	
परिचालन लाभ ₹.146,000	नकदी ऋण ₹.2,000	
व्याज ₹.2,200	मियादी ऋण ₹.14,000	
मूल्यांकन ₹.20,20	स्वयं की पूँजी ₹.2,000	
कर पूर्व लाभ ₹.141,780	प्रतिवारित लाभ ₹.1,41,780	
	कुल दायित्व ₹.1,59,780	

रांदेश ५: सक्रिय रहें और कठिनाई के समय बैंक से संपर्क करें



उपरोक्त परिस्थितियों में, आप बैंक खाता में या बैंक द्वारा जिला / मंडल / क्षेत्रीय स्तर पर गठित समिति के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।

आपके खाते की कठिनाई को दूर करने के लिए बैंक / समिति द्वारा विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जाएगा।

संशोधन

बैंक / समिति खाते को नियमित करने हेतु आपसे प्रतिबद्धता, विशिष्ट कार्यवाही और समयसीमा की मांग कर सकती है। वे आवश्यकता आधारित अतिरिक्त वित्त प्रदान करने पर भी विचार कर सकते हैं।

पुनर्रचना

अपने खाते की पुनर्रचना की संभावना पर विचार किया जा सकता है यदि वह व्यवहार्य है और यह सुनिश्चित हो जाए कि आप एक इरादतन चुककर्ता नहीं हैं (अर्थात् निधियों का विपर्यास, धोखाधड़ी या अपकरण न हुआ हो)

वसूली

यदि बैंक / समिति को लगता है कि उक्त दो विकल्प व्यवहार्य नहीं हैं, तो वे आपके उद्धम से ऋण की वसूली शुरू कर सकते हैं।

*वित्तीय शब्दों का सारांश

लाभ और हानि विवरण	एक विवरण जो कंपनी की आय और व्यय को दर्शाता है। यह एक विशेष अवधि हेतु तैयार किया जाता है (सामान्यतः 01 अप्रैल से 31 मार्च)
तुलन पत्र	एक विवरण जो एक विशेष तारीख को कंपनी की आस्तियाँ और देयताओं की स्थिति को दर्शाता है।
राजस्व	उत्पादों की बिक्री तथा सेवाओं से प्राप्त राशि। इसमें नकदी तथा उधार दोनों बिक्री शामिल हैं।
बेचे गए सामान की लागत	यह ग्राहकों को बेचे जाने वाले उत्पाद के निर्माण अथवा उपार्जन करने में खर्च की गई प्रत्यक्ष सामग्री लागत है।
सकल लाभ	सकल लाभ राजस्व तथा बेचे गए सामान की लागत के बीच का अंतर है। इसमें परिचालन व्यय जैसे किराया, वेतन आदि शामिल नहीं होता है।
परिचालन व्यय	ऐसे व्यय जो प्रत्यक्ष रूप से माल के उत्पादन से नहीं जुड़े होते हैं जैसे किराया, वेतन तथा एसजीएवए (बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्यय)।
व्याज	बकाया ऋण राशि पर राशि उधार देने वाले को भुगतान किया गया प्रभार।
मूल्यद्वास	अचल आस्तियों पर उनके जीवन काल के आधार पर लागू वार्षिक प्रभार। मूल्यद्वास की गणना लाभ तथा हानि खाते में व्यय के रूप में होती है।
कर पूर्व लाभ	सकल लाभ – परिचालन खर्च – व्याज – मूल्यद्वास
आस्तियाँ	चालू आस्तियाँ जैसे नकदी, इनवेंटरी तथा गैर–चालू आस्तियाँ अथवा अचल आस्तियाँ जैसे प्लांट तथा मशीनरी
देयताएँ	शेयरधारक पूँजी, वर्तमान देयताएँ जैसे लेनदार तथा एक वर्ष के भीतर भुगतान लिए जाने वाले अल्पावधि ऋण तथा भीयादी देयताएँ (देयताएँ जिनका भुगतान एक वर्ष के पश्चात किया जाना है)
प्राप्य राशियाँ	वे भुगतान जो करार के अनुसार भविष्य की किसी तारीख को ग्राहक से प्राप्त किया जाना है।
चालू आस्तियाँ	चालू आस्तियों में नकदी, खाता प्राप्य राशियाँ तथा वे अन्य तरल आस्तियाँ शामिल हैं जिन्हें आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।
अचल आस्तियाँ	वे आस्तियाँ जैसे लंबी अवधि के लिए उपयोग में लाया जाता है तथा व्यवसाय की सामान्य अवधि के दौरान बेचा नहीं जाता।
नकदी ऋण	चालू आस्तियों के वित्तपोषण तथा व्यवसाय के दैनिक परिचालन का प्रबंधन करने हेतु कार्यशील पूँजी ऋण
मियादी ऋण	दीर्घकालिक ऋण सामान्यतः अचल आस्तियों को खरीदने हेतु लिया जाता है तथा उस समयावधि में किसी भी चुकाया जाता है।
शेयर पूँजी	शेयरधारकों की पूँजी जो कंपनी में स्वामित्व हित का प्रतिनिधित्व करती है।

एमएसएमई हेतु नई पहल

ट्रेड रिसिवरल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) क्या आप अपने खरीदारों द्वारा देशी से भुगतान की समस्या का सामना करते हैं? यदि हाँ, तो आप अपनी प्राप्य राशियों को टीआरईडीएस के माध्यम से मुक्त सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंसारी तीन संस्थाएँ, अर्थात् आरएफसआईएल, माइड सॉल्यूशन तथा ए. टीआरईडीएस, टीआरईडीएस लेटकार्म का परिचालन कर रही हैं।

प्रमाणित ऋण परामर्शदाता

क्या आप व्यवसाय प्रस्ताव को तैयार करने, वित्तीय दस्तावेज़ आदि बिनाने में ज्ञान की कमी के कारण वैकों में एमएसएमई ऋण हेतु आवेदन करने में हिचकिचा रहे हैं? आप प्रमाणित ऋण सलाहकार (सीसीसी) से संपर्क कर सकते हैं जो सिडी द्वारा पंजीकृत हैं। इस प्रकार के सलाहकारों की सूची <https://udyamimitra.in/Home/CCC> पर उपलब्ध है। ये सलाहकार आपको व्यावसायिक निर्णयों में सहायता कर सकते हैं।

*परिमाणाएँ केवल संकेतात्मक प्रकृति की हैं। वे अलग-अलग उद्योग में मिल-मिल होती हैं तथा व्याख्याओं के अधीन होती हैं।

Registered Office:

12/A , 8th Main, 14th Cross,
Vinayaknagar,
Bangalore-560017



Reach Us:

TIMELESS, C.A.S.E.C, CH.I.C.
www.edumasters.org
edumaster24x7@gmail.com
+91-9342235577